साप्ताहिक
युवा प्रदेश
Freedom Of Speech
RNI. NO. MPHIN/2015/76299
संपादक-नागेश नरवरिया

YP24 NEWS
जिले एवं तहसीलों में संवाददाता नियुक्त करना है संपर्क करें...
संपर्क करे- 9425156055

वर्ष-10 अंक-14 | www.yuvapradesh.in | भोपाल, शुक्रवार 15 मई 2026 | ypnews24@gmail.com | पृष्ठ-08 मूल्य 2 रूपये

MV Act,1988- ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले फर्जी एजेंट, संकलनकर्ता के खिलाफ क्या कार्यवाही होगी जानिए

मोटर यान अधिनियम,1988 की धारा 93 के अनुसार स्पष्ट बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति वाहन लाइसेंस के लिए एजेंट, प्रचारक या संकलनकर्ता (डाटा एकत्रित करने वाला व्यक्ति) के कार्य करने से पहले प्राधिकरण अधिकारी से अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा एवं उन सभी शर्तो का पालन करेगा जो राज्य सरकार द्वारा बनाई गई हो, एवं अनुज्ञप्ति की जो फीस हैं वह देय करेगा।

लेखक एडवोकेट बी. आर. अहिरवार (विधिक सलाहकार नर्मदापुरम) 9827737665

प्रत्येक अनुज्ञप्ति प्राप्त एजेंट, प्रचारक किसी समाचार-पत्र, पुस्तक, सूची, वर्गीकृत निदेशिका या अन्य प्रकाशन में तब तक विज्ञापन नहीं देगा जब तक की वह अनुज्ञप्ति देने वाले अधिकारी से मंजूरी नहीं ली हो। एवं प्रत्येक संकलनकर्ता का कर्तव्य है की वह आईटी एक्ट,2000 के अधीन बनाए गए नियमो का पालन कर कार्य करे।

अगर कोई व्यक्ति फर्जी एजेंट, प्रचारक या संकलनकर्ता के रूप में या नियमो का उल्लंघन कर कार्य करता है तब ऐसे व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्यवाही होगी पढ़िए।

मोटर यान अधिनियम,1988 की धारा 193 की परिभाषा-

1. अगर कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा 93 का उल्लंघन कर फर्जी एजेंट, प्रचारक के रूप में काम करता है या एजेंट, प्रचारक होते हुए नियमो का उल्लंघन करता है तब ऐसे व्यक्ति को एक हजार रुपए के जुर्माना से दण्डित किया जाएगा, अगर यही अपराध दोबारा करता हैं तब छः माह की कारावास या दो हजार रुपए जुर्माना या दोनो से दण्डित किया जाएगा।

2. अगर कोई व्यक्ति धारा 93 या उसके अधीन बनाए किसी नियमो का उल्लंघन करेगा जो संकलनकर्ता (डाटा एकत्रित) करने का कार्य करता है तब ऐसे व्यक्ति को अधिकतम एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, लेकिन पच्चीस हजार से कम नही होगा।

3. अगर कोई अनुज्ञप्ति प्राप्त संकलनकर्ता राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी नियम का जानबूझकर कर उल्लंघन करता है जो शर्त के रूप में नमोदीर्ष्ट नहीं है, तब ऐसे संकलनकर्ता पर पाँच हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में जल आत्मनिर्भरता की ओर मध्यप्रदेश

6 हजार 201 करोड़ की लागत से 1.77 लाख जल संरक्षण कार्य पूर्ण

भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दूरदर्शी नेतृत्व में मध्यप्रदेश जल आत्मनिर्भरता का एक नया इतिहास लिख रहा है। प्रदेश की जल संरचनाओं के पुनरुद्धार और नवीन जल स्रोतों के निर्माण के उद्देश्य से शुरू किया गया जल गंगा संवर्धन अभियान अब अपने निर्णायक दौर में है। अभियान में न केवल लुप्त हो रही जल संरचनाओं को जीवनदान मिल रहा है, बल्कि वैज्ञानिक पद्धतियों से वर्षा जल के संग्रहण (Rain Water Harvesting) की क्षमता में भी ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। प्रदेश में अब तक 1 लाख 77 हजार 121 जल संरक्षण संबंधी कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है, जो राय की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पर्यावरणीय संतुलन के लिए एक सुखद संकेत है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा महात्मा गांधी नरेगा (मनरेगा) के समन्वय से संचालित इस विशाल अभियान के लिए राय सरकार ने व्यापक वित्तीय प्रावधान किए हैं। पूरे प्रदेश में कुल 2 लाख 42 हजार 188 कार्यों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए 6,201.81 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन में अब तक 4,443.85 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है। अभियान का मुख्य उद्देश्य खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में रोकने की अवधारणा पर है, ताकि आगामी मानसून में वर्षा की हर बूंद का संचयन सुनिश्चित किया जा सके।

सूक्ष्म स्तर पर हो रही मॉनिटरिंग

अभियान के अंतर्गत कार्यों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर सूक्ष्म स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है। विशेष रूप से डग वेल रिचार्ज (सूखे कुओं का पुनर्भरण) में प्रदेश ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है, जहाँ 88,123 से अधिक कुओं को रिचार्ज करने का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसी प्रकार, ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई और पशुपालन की सुविधा के लिए 53,568 खेत तालाबों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। जल संरक्षण और पुनर्भरण की अन्य विधियों के तहत 27,332 कार्य संपन्न हुए हैं। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण को मजबूती देने के लिए वृक्षारोपण और स्कूलों में जल टैंकों की सफाई जैसे रचनात्मक कार्यों को भी इस अभियान का हिस्सा बनाया गया है। JSJB 2.0 (जल संचयन जल भागीदारी) पहल के तहत भी 10 लाख से अधिक कार्यों का पंजीकरण राय की सक्रियता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अभियान की सफलता को जन-भागीदारी का परिणाम बताया है। जल संरक्षण समाज के अस्तित्व से जुड़ा विषय है। राय सरकार का लक्ष्य है कि इन स्थायी जल संरचनाओं के माध्यम से भू-जल स्तर को बढ़ाया जाए, ताकि भविष्य में पेयजल संकट का स्थायी समाधान हो सके और किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध हो। जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से मध्य प्रदेश आज देश के अन्य रायों के लिए जल प्रबंधन के क्षेत्र में एक मार्गदर्शक बनकर उभर रहा है।

खंडवा अग्रणी जिलों में शामिल

जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिलों के प्रदर्शन की नवीनतम रैंकिंग (14 मई, 2026) के अनुसार, खंडवा जिला 7.51 के स्कोर के साथ प्रदेश में प्रथम स्थान पर बना हुआ है।

Article 47- भारत में बच्चों को पोषण आहार, सरकार की कृपा या बच्चों का अधिकार, यहां पढ़िए

भारत के संविधान में निर्धारित किया गया है कि सरकार भारत के नागरिकों की हर स्थिति में रक्षा करेगी और संरक्षण करेगी। संविधान में सभी परिस्थितियों का वर्णन भी किया गया। अनुच्छेद 21 में दैहिक स्वतंत्रता और अनुच्छेद 41 में नागरिकों को रोजगार के लिए सरकार को निर्देशित किया गया है परंतु कई बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जीवन स्तर काफी निम्न बना रहता है और इसके कारण उन्हें पता ही नहीं होता कि जीवन में विकास कैसे किया जा सकता है।

लेखक एडवोकेट बी. आर. अहिरवार (विधिक सलाहकार नर्मदापुरम) 9827737665

संविधान ने यह भी निर्धारित किया है कि सरकार, कुपोषित बच्चों एवं नागरिकों का संरक्षण करेगी और उन्हें पोषण आहार उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने करने के लिए काम करेगी।

भारतीय संविधान अधिनियम,1950 के अनुच्छेद 47 की परिभाषा

अनुच्छेद 47 के अंतर्गत राज्य का प्राथमिक यह कर्तव्य होगा कि वह लोगो के पोषण आहार स्तर एवं जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए एवं लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का पूर्ण प्रयास करेगा। तथा मादक पेय पदार्थो। (शराब, चरस, ड्राक्स, गांजा आदि) स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाइयों पर प्रतिबंध करे।

भारतीय नागरिक के तीन महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार

1. पोषण आहार पाने का अधिकार मौलिक अधिकार है:-- पी. यू. सी.एन. बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि गरीब, निर्धन एवं कमजोर वर्ग के लोगो को राज्य सरकार से आहार प्राप्त करना अनुच्छेद 21 के अनुसार मौलिक अधिकार प्राप्त है।

2. आश्रय एवं दैनिक सुविधा पाना भी मौलिक अधिकार है जानिए:-- चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभिनिर्धारित किया गया की दलित एवं आदिवासी वर्ग के लोगो के लिए मकान देना एवं उसके साथ अन्य सुविधाएं देना राज्य का कर्तव्य हैं एवं अनुच्छेद 21 के अनुसार यह उनका मौलिक अधिकार भी है।

3. चिकित्सा सहायता प्राप्त करना नागरिको का मौलिक अधिकार है जानिए:-- परमानंद कटारा बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि किसी भी सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल में चिकित्सा सहायता पाना नागरिकों का अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है।

क्या है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जानिए संक्षिप्त रूप में

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 भारत के सभी नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार है अर्थात राज्य सरकार नागरिकों को वो सभी सुविधा देगी जो उनके जीवन जीने के लिए पर्याप्त होगी यह अधिकार जीवन जीने के अधिकार के नाम से भी जाना जाता है एवं सभी मौलिक अधिकारों में यह अधिकार विस्तृत एवं श्रेष्ठ अधिकार माना जाता है एवं यह नागरिकों को स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त है।

तेंदूपत्ता गिनती से लौट रहे किसान की हत्या, जंगल मार्ग में बाइक पर मिला खून से लथपथ शव

संभागीय संवाददाता -राजू राय । शहडोल जिले के ब्यौहारी थाना क्षेत्र में एक किसान की निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। देवराव गांव निवासी तुलसी दास कुशवाहा का शव सोमवार सुबह गांव के पास जंगल के रास्ते में उनकी बाइक पर खून से लथपथ हालत में मिला। शरीर पर धारदार हथियार से हमले के गहरे निशान पाए गए हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि टंगी या किसी तेजधार हथियार से वार कर हत्या की गई है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और शोक का माहौल है।

जानकारी के अनुसार तुलसी दास कुशवाहा रविवार शाम गांव में चल रही तेंदूपत्ता गिनती में शामिल होने घर से बाइक से निकले थे। देर रात तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने सोचा कि वह काम में व्यस्त होंगे। सोमवार सुबह जब ग्रामीण गांव के पास स्थित जंगल मार्ग से गुजर रहे थे, तब उन्होंने तुलसी दास का शव बाइक पर पड़ा देखा। शव के आसपास काफी मात्रा में खून फैला हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही ब्यौहारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुरुआती जांच में मामला हत्या का माना जा रहा है। मृतक के परिजनों ने पुरानी रंजिश के चलते हत्या किए जाने की आशंका जताई है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और हर पहलू पर पड़ताल की जा रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ कर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है।

बच्चों का सर्वांगीण विकास ही विकसित मध्यप्रदेश की आधारशिला महिला एवं बाल विकास मंत्री

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश

महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने कहा है कि मध्यप्रदेश के बच्चों का सर्वांगीण विकास ही राय के सतत और समावेशी विकास की आधारशिला बनेगी। सुश्री भूरिया बुधवार को होटल कोर्टयार्ड मैरियट में महिला एवं बाल विकास विभाग तथा यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित चाइल्ड बजटिंग इन मध्यप्रदेश विषयक प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित कर रही थीं। बताया कि वर्ष 2026-27 के राय बजट में बच्चों के सर्वांगीण विकास के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता दिखती है। उन्होंने मुख्य वित्तीय प्रावधानों को साझा करते हुए कहा कि बजट में इस वर्ष 26 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि की गई है।स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में 23 हजार 747 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें पोषण 2.0 जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। राय के कुल व्यय का 13.7 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर व्यय के लिये आवंटित किया गया है। मंत्री सुश्री भूरिया ने स्पष्ट किया कि बच्चों का विकास केवल संबंधित बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने कहा चाइल्ड बजट स्टेटमेंट में अब 19 विभागों को शामिल किया गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जनजातीय कार्य और सामाजिक न्याय जैसे सभी विभागों को एक निर्धारित लक्ष्य अनुसार मिलकर काम करना होगा। विभागों के बीच जब बेहतर समन्वय होगा, तभी बजट का वास्तविक लाभ धरातल पर दिखेगा। मंत्री सुश्री भूरिया ने प्रदेश के 55 जिलों की विविधता का उल्लेख करते हुए कहा कि हर जिले में बच्चों की आवश्यकताएं अलग हो सकती हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्थानीय आवश्यकताओं को समझें और उसी के अनुरूप कार्य योजना बनाएं। महिला एवं बाल विकास आयुक्त निधि निवेदिता ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कि राय की लगभग 40 प्रतिशत आबादी 3 करोड़ बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि चाइल्ड बजट की रिपोर्टिंग को अधिक वैज्ञानिक और पारदर्शी बनाना अनिवार्य है।विभागों को केवल आंकड़ों पर नहीं, बल्कि साक्ष्यों पर ध्यान देना होगा कि उनकी योजनाओं का वास्तविक लाभ बच्चों तक कैसे पहुँच रहा है। यूनिसेफ मध्यप्रदेश के चीफ फील्ड स्टॉफ,विलियम हैनलोन ने कहा कि मध्यप्रदेश चाइल्ड बजटिंग के 5 सफल वर्ष पूरे कर चुका है और यह केवल खर्च की रिपोर्टिंग से आगे बढ़कर परिणाम-आधारित बजटिंग की ओर बढ़ रहा है। मध्यप्रदेश की अधिकांश जनजातीय आबादी को देखते हुए बजट में लिंग और भौगोलिक स्थिति के आधार पर समानता का ध्यान रखा जाना चाहिए। यूनिसेफ की सोशल पॉलिसी चीफ (दिल्ली) सुश्री क्रिस्टीना पोपीवानोवा ने मध्यप्रदेश की इस पहल को संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन के अनुरूप बताया।उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब बच्चों में निवेश को लाभार्थी के नजरिए से नहीं बल्कि उत्पादकता के आधार पर देखा जाए।महिला बाल विकास विभाग के संयुक्त संचालक अभिताभ अवस्थी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026ङ्क27 के लिए बाल बजट के अंतर्गत 75 हजार 587 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह राशि राय के कुल बजट का 19.4 प्रतिशत और सकल घरेलू उत्पाद का 4.1 प्रतिशत है। वर्ष 2022 में बाल बजटिंग की पहल शुरू करने के बाद, मध्यप्रदेश अब इसके पांचवें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। इस प्रक्रिया में विभागों की भागीदारी 17 से बढ़कर 19 हो गई है, जो राय की ÷होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच÷को दर्शाती है।कार्यशाला के तकनीकी सत्रों का संचालन यूनिसेफ की सामाजिक नीति विशेषज्ञ सुश्री पूजा सिंह द्वारा किया गया। इसमें शामिल 19 विभागों के प्रतिनिधियों ने बजट प्रक्रिया और क्रियान्वयन के अपने अनुभव साझा किए।

आयुष्मान वय वंदना कार्ड से कोई भी वरिष्ठ नागरिक न रहे वंचित संभागायुक्त के निर्देश

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश

संभागायुक्त संजीव सिंह ने शुक्रवार को आयुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित टीएल बैठक में भोपाल संभाग के जिलों में गेहूं उपार्जन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने खाद्य आपूर्ति नियंत्रक चन्द्रभान सिंह जादौन से जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि गेहूं उपार्जन कार्य को सर्वोच प्राथमिकता के साथ संचालित किया जाए और उपार्जन केन्द्रों पर किसानों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित रहें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उपार्जन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्देश दिए कि सभी उपार्जन केन्द्रों पर किसानों की स्लॉट बुकिंग, परिवहन व्यवस्था, पर्याप्त बारदाना उपलब्धता तथा निर्धारित समय-सीमा में भुगतान सुनिश्चित किया जाए। खाद्य आपूर्ति नियंत्रक ने बताया कि भोपाल संभाग के 4 लाख 37 हजार 381 किसानों ने गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन कराया था जिसमें अभी तक 3 लाख 52 हजार 809 किसानों ने स्लॉट बुक कराए हैं। संभाग के सभी जिलों में उपार्जन केन्द्रों पर 2 लाख 40 हजार 509 किसानों से 15 लाख 94 हजार 94 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है?। साथ ही 2 हजार 354 करोड़ रूपये का भुगतान भी किया जा चुका हैं और 14 लाख 61 हजार 715 मीट्रिक टन गेहूं का परिवहन भी किया जा चुका है। बैठक में संभागायुक्त ने सीएम हेल्पलाइन में 100 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी विभागीय अधिकारियों को इनके शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा करते हुए आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों के पंजीयन पोषण ट्रेकर पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने नवीन आंगनबाड़ी भवनों को पीएम गति शक्ति अंतर्गत नजदीकी स्कूलों एवं को-लोकेशन के आधार पर बनाने एवं निर्माण कार्य समय सीमा में पूर्ण करने के भी निर्देश दिए। बरसात के पूर्व स्कूलों में पेयजल, बालिका शौचालय का निर्माण एवं मरम्मत का कार्य पूर्ण करें। संभाग के सभी जिलों में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत स्वीकृत 1.88 लाख आवास का कार्य समय सीमा में सुनिश्चित किया जाए। संभागायुक्त श्री सिंह ने कहा कि आयुष्मान वय वंदना कार्ड 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष स्वास्थ्य योजना है, जो आय की परवाह किए बिना प्रति वर्ष ?5 लाख तक का मुफ्त, कैशलेस इलाज प्रदान करती है। संभाग के सभी जिलों में सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं नगरीय निकाय अभियान चलाएं।

जिले की गौशालाओं में गौवंश को लू से बचाव की लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल

मध्यप्रदेश उप संचालक, सचिव जिला गोपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति भोपाल डॉ.अभिजीत शुक्ला ने बढ़ते तापमान एवं भीषण गर्मी को ध्यान में रखते जिले की सभी गौशालाओं के नोडल अधिकारियों को गौवंश को लू से बचाव की लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। जारी गाइड लाइन अनुसार गौशालाओं में गौवंश को छायादार स्थान पर रखने, गौशाला में 24 घंटे ठंडा और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, पेयजल में हल्का नमक या इलेक्ट्रोलाइट मिलाना, गौशालाओं के दरवाजों और खिड़कियों पर गीले टाट या जूट की बोरी लगाकर गर्म हवा के प्रवेश को रोका जाए, गौशाला में पंखे और एग्जॉस्ट फैन की व्यवस्था, गौशाला में दिन में 2 से 3 बार पानी का छिड़काव करने और फर्श को ठंडा रखना, गौवंशों के आहार में हरा चारा, मिनरल मिक्सचर और नमक शामिल किया जाए, दोपहर के समय गौवंश को बाहर न निकाला जाए, लू के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सक नोडल अधिकारी से संपर्क किया जाए एवं गौशाला में पर्याप्त भूसा भंडारण और हरे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, गौशाला में क्षमता से अधिक गौवंश न रखे जाएं। उप संचालक डॉ. शुक्ला गौशालाओं का स्वयं निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही को सुनिश्चित करवा रहे है।

दुर्लभ जलीय वन्यजीवों की तस्करी से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क पर मध्यप्रदेश एसटीएसएफ की बड़ी कार्रवाई

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल।

मध्यप्रदेश में वन एवं वन्यजीव संरक्षण को लेकर लगातार प्रभावी और परिणामोन्मुखी प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में वन अपराधों पर नियंत्रण और जैव-विविधता संरक्षण के लिए आधुनिक तकनीक, अंतर्रायीय समन्वय तथा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से कार्रवाई को लगातार मजबूत किया जा रहा है। इसी दिशा में मध्यप्रदेश वन विभाग की स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने दुर्लभ जलीय वन्यजीवों की तस्करी से जुड़े एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा करते हुए महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। एसटीएसएफ द्वारा की गई विस्तृत जांच और एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर इंटरपोल मुख्यालय फ्रांस ने बांग्लादेश के फरार आरोपी अल हज शफीकुल इस्लाम रहमान तालुकदार उर्फ रेमंड तालुकदार के विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई वन्यजीव अपराधों के विरुद्ध मध्यप्रदेश की सक्रिय और प्रभावी रणनीति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिली बड़ी मान्यता के रूप में देखी जा रही है। स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने जुलाई-2025 में मुरैना जिले में कार्रवाई करते हुए घड़ियाल के 30 बच्चे, 17 रेड-क्राउन्ड रूफ्ड टर्टल तथा 19 थ्री-स्ट्राइप्ड रूफ्ड टर्टल बरामद किए थे। इस मामले में वन अपराध प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई। विवेचना में सामने आया कि यह संगठित गिरोह दुर्लभ जलीय वन्यजीवों की तस्करी कर पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश भेजता था, जहां से इन्हें म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया सहित दक्षिण-

पूर्व एशिया के कई देशों में सप्लाई किया जाता था।मध्यप्रदेश की एसटीएसएफ ने अन्य रायों में भी समन्वित कार्रवाई करते हुए इस प्रकरण में अब तक छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मार्च 2026 में देश के बड़े जलीय वन्यजीव तस्करों में शामिल तारकनाथ घोष को कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ, डिजिटल इनपुट और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर गिरोह के मुख्य सरगना के रूप में बांग्लादेश निवासी तालुकदार की भूमिका सामने आई। इसके बाद एसटीएसएफ द्वारा एकत्रित ठोस साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट प्राप्त किया गया तथा केंद्र सरकार और इंटरपोल के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई की गई। वन विभाग के सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप इंटरपोल ने 29 अप्रैल 2026 को आरोपी के विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। इस पूरी कार्रवाई में वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, नई दिल्ली का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। उल्लेखनीय है कि इंटरपोल विश्व के 195 से अधिक देशों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो वैश्विक स्तर पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करता है। वन्यजीव अपराधों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और पेशेवर जांच के लिए इंटरपोल द्वारा पूर्व में भी चार बार मध्यप्रदेश स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स के कार्यों की सराहना की जा चुकी है।

मूट कोर्ट एवं मॉक ट्रायल का आयोजन किया गया

मूट कोर्ट विधिक शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग- डॉ. कल्पना भारद्वाज

पत्रकार बीआर अहिरवार नर्मदापुरम।

शासकीय विधि महाविद्यालय नर्मदापुरम में प्राचार्य डॉ. कल्पना भारद्वाज के मार्गदर्शन में आज विधि विद्यार्थियों के व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु पाक्सो एक्ट से संबंधित समस्या के अंतर्गत मूट कोर्ट एवं मॉक ट्रायल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को न्यायालयीन कार्यवाही, अधिवक्ताओं की भूमिका, साक्ष्य प्रस्तुत करने की प्रक्रिया तथा न्यायिक निर्णय की विधि से परिचित कराना था। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने न्यायाधीश, अधिवक्ता, अभियोजन पक्ष, बचाव पक्ष, साक्षियों एवं न्यायालयीन कर्मचारियों की भूमिका का प्रभावशाली निर्वहन किया। मूट कोर्ट के माध्यम से पाक्सो एक्ट से संबंधित एक काल्पनिक आपराधिक मामला प्रस्तुत किया गया, जिसमें पक्षकारों द्वारा विधिक तर्कों, साक्ष्यों के आधार पर अपने-अपने पक्ष रखे गए। न्यायाधीश की भूमिका निभा रहे विद्यार्थी ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के पश्चात निर्णय सुनाया। प्राचार्य डॉ. कल्पना भारद्वाज ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि मूट कोर्ट विधि शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है, जो विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन, विधिक विश्लेषण, अभिव्यक्ति कौशल तथा आत्मविश्वास का विकास करता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियाँ विद्यार्थियों को भविष्य में सफल अधिवक्ता, न्यायिक अधिकारी एवं विधि विशेषज्ञ बनने के लिए तैयार करती हैं। कार्यक्रम का अवलोकन डॉ. अभिषेक सिंह एवं डॉ. महेंद्र कुमार पटेल द्वारा किया गया। दोनों प्राध्यापकों ने विद्यार्थियों के प्रस्तुतीकरण, तर्कशक्ति एवं न्यायालयीन प्रक्रिया की समझ की सराहना करते हुए आवश्यक सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि मूट कोर्ट जैसे आयोजन विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास तथा व्यावहारिक विधिक ज्ञान को सुदृढ़ करने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं।

राष्ट्रीय सेवा योजना (रासेयो) इकाई द्वारा 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया

पत्रकार बीआर अहिरवार नर्मदापुरम ।।

शासकीय विधि महाविद्यालय नर्मदापुरम की प्राचार्य डॉ. कल्पना भारद्वाज के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय सेवा योजना (रासेयो) इकाई द्वारा 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में विभागाध्यक्ष एवं पूर्व रासेयो कार्यक्रम अधिकारी श्री शिवाकांत मौर्य ने अपने उद्बोधन में कहा कि विश्व रेड क्रॉस दिवस मानवता, सेवा, करुणा और निस्वार्थ सहायता का प्रतीक है। रेड क्रॉस संस्था आपदा, युद्ध, महामारी तथा अन्य आपात परिस्थितियों में बिना किसी भेदभाव के जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुँचाने का कार्य करती है। उन्होंने स्वयंसेवकों से आह्वान किया कि वे मानव सेवा के इस महान कार्य से प्रेरणा लेकर समाज के कमजोर और दुर्बल वर्गों की सहायता हेतु सदैव तत्पर रहें। कार्यक्रम में स्वयंसेवकों को रेड क्रॉस आंदोलन के इतिहास, इसके सात मूल सिद्धांतों मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा, एकता और सार्वभौमिकता के बारे में जानकारी दी गई। स्वयंसेवकों ने मानव सेवा एवं रक्तदान के महत्व को समझते हुए समाज के प्रति अपने दायित्वों का संकल्प लिया। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉ. महेंद्र कुमार पटेल ने सभी अतिथियों, प्राध्यापकों एवं स्वयंसेवकों का आभार व्यक्त किया।

फर्जी मोटर,फर्जी बिल,फर्जी मूल्यांकन - धनौरा बना घोटालों का गढ़ शिवसेना जिला अध्यक्ष शिव चक्रवर्ती ने जनपद सीईओ को ज्ञापन सौंप कार्यवाही की मांग

कैलाश कुमार अहिरवार - सह संपादक (युवा प्रदेश)

शहडोल/बुढ़ार, 14 मई 2026 शिवसेना संभाग अध्यक्ष पवन पटेल के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष शिव चक्रवर्ती ने ग्राम पंचायत धनौरा में हुए 6 बड़े घोटालों को लेकर बुधवार को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुढ़ार को ज्ञापन सौंपकर हड़कंप मचा दिया। शिवसेना जिला अध्यक्ष शिव चक्रवर्ती ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि सरपंच पति चन्द्रशेखर सिंह, सचिव सुरेश कुमार भट्ट एवं उपयंत्री सीता सरण शुक्ला की मिलीभगत से पंचायत में 30 लाख से अधिक का घोटाला हुआ है।

1. चेक डैम घोटाला - 10 लाख÷ मुरारी भरिया के पहले से बने तालाब में ÷चेक डैम÷ के नाम पर 10 लाख स्वीकृत। मौके पर सिर्फ हल्की मिट्टी हटाई, फर्जी मस्टररोल से 4.69 लाख का आहरण। पिचिंग कार्य शून्य, फिर भी इंजीनियर ने घर बैठे बिल पास कर दिया।
2. नवा तालाब जीर्णोद्धार - 2.5 लाख÷ तालाब में कोई काम नहीं, सिर्फ मेंड़ की झाड़ी कटवाकर 2.5 लाख निकाल लिए।
3. नल-जल योजना फेल÷ अमराडंडी दरी टोला में पाइप लाइन अधूरी, ठेकेदार ने काम पूरा नहीं किया। 2 साल से योजना बंद, फिर भी पंचायत ने अपने हैंड में ले लिया।
4. मंगल भवन घोटाला - 14 लाख÷ 14 लाख लागत का मंगल भवन 4 साल से अधूरा पड़ा है। राशि का बंदरबांट हो गया।
5. फर्जी मोटर - 64 हजार÷ बिना मोटर खरीदे ही समीम मोटर्स के नाम से 64 हजार का फर्जी बिल लगाकर राशि निकाल ली।
6. नाली सफाई घोटाला÷ आधा-अधूरा काम करवाकर 2 बार का बिल लगाकर पैसा निकाला गया

शिव चक्रवर्ती ने चेतावनी दी कि यदि 15 दिन के अंदर जांच शुरू कर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो शिवसेना ÷ब्रह जनपद बुढ़ार के कार्यालय के बाहर उग्र प्रदर्शन करने बाध्य होगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। उक्त ज्ञापन सौंपते समय भीमसेन महरा, विनय कोल, त्रिवेणी चौधरी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।।

मीना कुशवाहा पर जानलेवा हमले को लेकर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) का आक्रोश, गिरफ्तारी न होने पर आंदोलन की चेतावनी

कैलाश कुमार अहिरवार - सह संपादक (युवा प्रदेश)

शहडोल 7 14 मई, 2026
शहडोल जिले के ग्राम लालपुर निवासी श्रीमती मीना कुशवाहा पर हुए जानलेवा हमले के मामले में अब राजनीतिक और सामाजिक उबाल बढ़ गया है। आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) और भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने संयुक्त रूप से पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। संगठन का आरोप है कि आरोपियों के रसूख के कारण पुलिस ठोस कार्रवाई करने से कतरा रही है।

घटना का सारांश और गंभीर चोटें

06 मई 2026 को सुबह 8:30 बजे सिंहपुर के पास पीड़िता मीना कुशवाहा (43 वर्ष) पर धर्मेंद्र पांडेय, मनदीप पांडेय, कुलदीप पांडेय और पुष्पेंद्र पांडेय द्वारा जानलेवा हमला किया गया था। हमले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पीड़िता की 5 पसलियां (नंबर 5 से 9) टूट गई हैं? गंभीर हालत में उन्हें बिरसा मुंडा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में 7 दिनों तक भर्ती रहना पड़ा?

प्रशासन के समक्ष प्रमुख आपत्तियां

धाराओं में ढिलाई- भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि 5 पसलियों का टूटना गंभीर उपहति की श्रेणी में आता है, इसके बावजूद पुलिस ने अब तक धारा 307 IPC (वर्तमान IPC 109 - हत्या का प्रयास) नहीं जोड़ी है।

पुलिस की निष्क्रियता:

FIR क्रमांक 0078/2026 दर्ज होने के एक सप्ताह बाद भी मुख्य आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और गवाहों को डरा-धमका रहे हैं।

संगठन की संयुक्त मांगें:

1. 48 घंटे के भीतर गिरफ्तारी- सभी नामजद आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए।
2. धारा 307 का समावेश- मामले की गंभीरता को देखते हुए हत्या के प्रयास की धाराएं जोड़ी जाएं।
3. आर्थिक सहायता और सुरक्षा- पीड़िता को शासन की पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत मुआवजा और परिवार को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए।
4. निष्पक्ष जांच- प्रकरण की विवेचना किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से कराई जाए ताकि स्थानीय दबाव की संभावना न रहे।

÷पीड़ित परिवार आज भी दहशत में है। यदि 7 दिनों के अंदर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर उग्र धरना-प्रदर्शन और आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।÷ – राजेश कुशवाहा, जिला संयोजक।

ज्ञापन सौंपते समय भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के जिला स्तरीय कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

केवई नदी को बचाने के लिए युवाओं का जल सत्याग्रह, चंगेरी में उठी विरोध की लहर

कुमार अनूप गुप्ता ब्यूरो चीफ अनूपपुर

(कोतमा)
नदी के अस्तित्व और क्षेत्र में गहराते जल संकट को लेकर आज चंगेरी में युवाओं ने अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। अनूपपुर थर्मल पावर कंपनी (अडानी समूह) द्वारा नदी पर बनाए गए बैराजों और अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ युवाओं ने जल सत्याग्रह शुरू कर दिया है।

आंदोलन की मुख्य वजहें

आंदोलनकारियों का आरोप है कि अडानी पावर प्लांट द्वारा छतई में बनाए गए बैराज और भविष्य में प्रस्तावित 8 अन्य बैराजों के कारण आने वाले समय में कोतमा क्षेत्र पूरी तरह से जल विहीन हो जाएगा। इसके साथ ही-

केवई नदी में नियमों को ताक पर रखकर रेत का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी है।

नदी की प्राकृतिक धारा प्रभावित हो रही है, जिससे भविष्य में खेती और पेयजल का संकट खड़ा होना तय है।

राजनीतिक दलों का मिला समर्थन

युवाओं के इस आंदोलन को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। आज सत्याग्रह स्थल पर अनुज गौतम के साथ युवा साथी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के दर्जनों सदस्य, पूर्व पार्षद देवशरण सिंह और कांग्रेस नेता व जिला पंचायत सदस्य रिंकू रामजी मिश्रा पहुंचे। आप सभी ने ने युवाओं की मांगों को जायज ठहराते हुए प्रशासन के खिलाफ कड़ा रोष व्यक्त किया।

÷यह केवल आज की लड़ाई नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के पानी को बचाने का संघर्ष है। अगर आज बैराजों का निर्माण एवं अवैध उत्खनन नहीं रुका, तो कोतमा मरुस्थल बन जाएगा।÷

– आंदोलन समर्थकों का सामूहिक स्वर

प्रशासनिक पहल विफल, सत्याग्रह जारी

मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोतमा मौके पर पहुंचे और आंदोलनकारियों को समझाने का प्रयास किया। हालांकि, युवा अपनी मांगों पर अडिग रहे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक प्रशासन इन समस्याओं के समाधान हेतु लिखित आश्वासन नहीं देता, तब तक वे नदी से बाहर नहीं निकलेंगे।

देर शाम तक युवा पानी के भीतर खड़े होकर जल सत्याग्रह करते रहे, जिससे प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन जनहित में ठोस कदम उठाता है या विकास के नाम पर नदी के दोहन का यह खेल जारी रहता है।

श्री दिलीप जायसवाल के पुत्र के विवाह समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉ यादव

● राय मंत्री दिलीप जायसवाल के पुत्र के विवाह समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ● अभिशंख एवं स्तुति जायसवाल के परिणय अवसर पर दी शुभाशीष

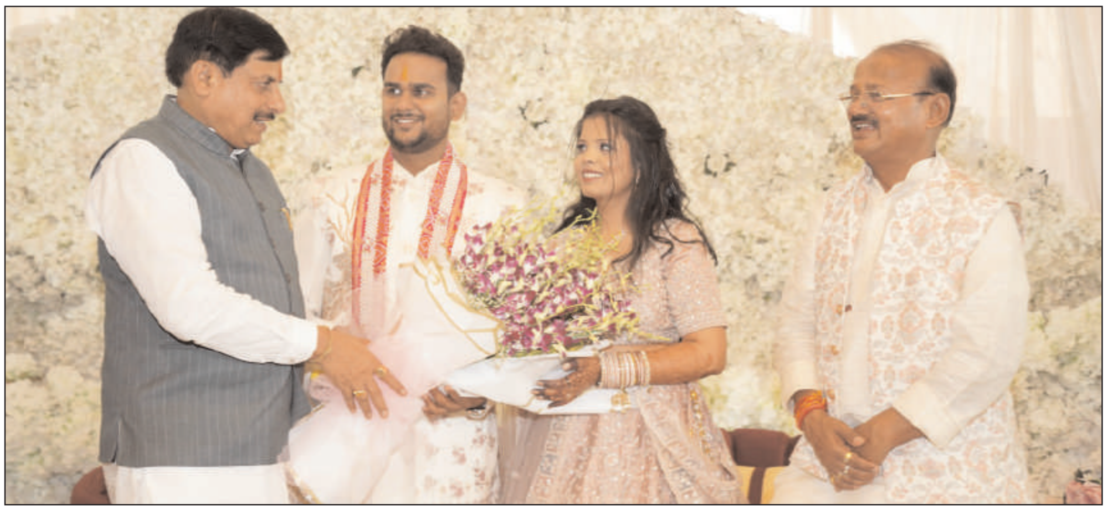

कुमार अनूप गुप्ता ब्यूरो चीफ

अनूपपुर बिजुरी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग रायमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिलीप जायसवाल के सुपुत्र अभिशंख जायसवाल एवं पुत्रवधू स्तुति जायसवाल के पावन वैवाहिक बंधन मांगलिक अवसर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं एवं मंगल आशीष प्रदान किए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ईश्वर से नवदंपति के सुखमय, समृद्ध एवं आनंदपूर्ण दाम्पत्य जीवन की कामना करते हुए कहा कि यह नवीन जीवन यात्रा प्रेम, विश्वास, सम्मान और अटूट साथ के पवित्र सूत्र से सदैव सुसजित रहे। उनके जीवन में सुख, शांति, वैभव, उत्तम स्वास्थ्य और उन्नति का प्रकाश निरंतर बना रहे तथा परिवार का आंगन सदैव खुशियों, सौभाग्य और मधुर संबंधों की सुगंध से महकता रहे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव बिजुरी में आयोजित वैवाहिक समारोह में सम्मिलित हुए और नवविवाहित दंपति को अपने स्नेहिल आशीर्वचनों से अभिसिंचित कर उज्ज्वल एवं मंगलमय भविष्य की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने रायमंत्री श्री जायसवाल एवं उनके परिवारजनों से आत्मीय भेंट कर इस सुखद अवसर की खुशियां साझा कीं। इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों एवं अतिथियों से भी मुख्यमंत्री ने आत्मीय चर्चा की।

इस अवसर पर मध्यप्रदेश शासन की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती सम्पतिया उइके, शहडोल संसदीय क्षेत्र की सांसद श्रीमती हिमाद्री सिंह, मंडला सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, वन एवं पर्यावरण रायमंत्री तथा अनूपपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री दिलीप अहिरवार, विधायक एवं पूर्व मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ,विधायक जैतपुर श्री जयसिंह मरावी, विधायक जयसिंहनगर श्रीमती मनीषा सिंह, कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली,डीएफओ डेविड चनाप,सीईओ जिला पंचायत श्रीमती अर्चना कुमारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री जगन्नाथ मरकाम,उपाध्यक्ष जिला पंचायत अनूपपुर श्रीमती पार्वती राठौर, जिला पंचायत सदस्य भारती केवट नर्मदा सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं परिजन उपस्थित थे।

डबरा नगर पालिका में भ्रष्टाचार का तांडव, राजनैतिक द्वेष के कारण विकास की बलि चढ़ा रहे जिम्मेदारः महाराज सिंह राजौरिया

● गौशाला में भूख से मर रही गायें, भूसा बजट डकार रहे अधिकारी; गौ-सेवा के नाम पर हो रहा बड़ा घोटाला ● वार्ड 16 की पार्षद श्रीमती सुनीता राजौरिया के राशन पर्ची आवेदन पर भी कुंडली मारकर बैठे जिम्मेदार अधिकारी ● डबरा गांव पुलिया की रिटर्निंग वॉल और नदी गहरीकरण का काम राजनैतिक द्वेष के कारण ठप ● आवास योजना की किश्तें रोकीं, RTI मांगने पर हजारों रुपयों की मांग; एक हफ्ते में सुधार न होने पर होगा ऐतिहासिक घेराव

डबरा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी (अनुसूचित जाति विभाग) के प्रदेश महामंत्री और वरिष्ठ नेता महाराज सिंह राजौरिया (पूर्व चेयरमैन नपा डबरा) ने आज नगर पालिका परिषद डबरा की कार्यप्रणाली पर जमकर भड़ास निकालते हुए इसे भ्रष्टाचार और राजनैतिक भेदभाव का सबसे बड़ा अड्डा करार दिया। उन्होंने कहा कि डबरा नगर पालिका वर्तमान में लोकतंत्र की मर्यादाओं को ताक पर रखकर काम कर रही है। यहाँ विकास कार्यों का मापदंड जनहित नहीं, बल्कि %राजनैतिक विचारधारा बन गया है, जो डबरा के भविष्य के लिए घातक है।

गौशाला में गोवंश की तड़प और भूसा घोटालाः श्री राजौरिया ने दैनिक समाचार पत्रों में छपी खबरों का हवाला देते हुए नगर पालिका प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि नगर पालिका द्वारा संचालित गौशाला में बदइंतजामी का यह आलम है कि भूसे की कमी के कारण गोवंश लगातार दम तोड़ रहा है।

÷एक तरफ प्रदेश की भाजपा सरकार गौ-सेवा के बड़े-बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी ओर डबरा नगर पालिका में शासन से आने वाला भूसा बजट आखिर किसकी जेब में जा रहा है? जब गौशाला के नाम पर नियमित पैसा आ रहा है, तो फिर गायें भूख से क्यों मर रही हैं और इस क्रूर लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? उन्होंने आरोप लगाया कि शहर के कुछ जागरूक युवा अपनी सीमित क्षमताओं से गोवंश की रक्षा हेतु प्रयासरत हैं, जबकि जिम्मेदार अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होकर अपनी आंखें मूंदे बैठे हैं। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।

राजनैतिक भेदभाव= वार्ड न. 16 और विपक्षी पार्षदों को बनाया जा रहा निशाना महाराज सिंह राजौरिया ने कड़े शब्दों में कहा कि डबरा में विकास की धारा को राजनैतिक आधार पर मोड़ा जा रहा है। जिन वार्डों में कांग्रेस या गैर-भाजपाई पार्षद हैं, वहां की जनता को सजा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि वार्ड नं. 16 में डबरा गांव पुलिया पर बनने वाली रिटर्निंग वॉल की फाइल प्रक्रिया महीनों पहले पूरी हो चुकी है, लेकिन उसे महज इसलिए रोका गया है ताकि विपक्षी कांग्रेस पार्षदों को नीचा दिखाया जा सके।

इसी तरह, नदियों के गहरीकरण के आवेदनों पर केवल कागजी खानापूर्ति की जा रही है। मानसून सिर पर है, और नदियों के किनारे रहने वाले सैकड़ों परिवारों के घरों में पानी घुसने का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन प्रशासन कुंभकर्णी नींद सो रहा है।

गड्ढों में तब्दील हुई शहर की सड़कें, गंदगी भरे गड्ढों में विरोध के बाद भी नहीं जागी नपा राजौरिया ने शहर की चरमराई यातायात व्यवस्था और सड़कों की जर्जर हालत पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि डबरा की सड़कों को लेकर अब तक सैकड़ों आवेदन दिए जा चुके हैं, कई बार

उग्र धरने दिए गए और यहाँ तक कि कांग्रेस पार्षद, कार्यकर्ताओं और आमजन ने गंदगी से भरे गड्ढों में बैठकर भी अपना विरोध दर्ज कराया है। लेकिन नगर पालिका के लापरवाह और गैर-जिम्मेदार अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। साथ ही मुख्य मार्गों का जिक्र करते हुए बताया कि शहर का पुराना गाड़ी अड्डा रोड, ठाकुर बाबा रोड, शुक्ला डेरी रोड, लक्ष्मी कॉलोनी रोड और अमरपुरा खेरी रोड जैसे प्रमुख मार्ग अपनी पहचान खो चुके हैं। इन मार्गों के अलावा शहर की सैकड़ों गलियों से डामर और आईसीसी पूरी तरह गायब हो चुकी है। सड़कों पर अब सड़क नहीं बल्कि केवल जानलेवा गड्ढे बचे हैं। आमजन हो रहा चोटिल, जिम्मेदार मौन उन्होंने कहा कि इन गहरे गड्ढों के कारण आए दिन वाहन चालक चोटिल हो रहे हैं, सवारियों से भरी टमटम पलट रही हैं और बुजुर्ग व बचे दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। राजौरिया ने सवाल किया, ÷आखिर डबरा की जनता के साथ इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरती जा रही है? क्या प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है? इतना सब होने के बावजूद नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा मरम्मत कार्य न कराना उनकी कार्यक्षमता और मंशा पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।÷

राशन पर्ची और जनहित के आवेदनों पर तालेः श्री राजौरिया ने बताया कि शहर के हर वार्ड का हितग्राही राशन पर्ची हेतु परेशान हो रहा है। कुछ दिन पूर्व ही वार्ड 16 की पार्षद श्रीमती सुनीता राजौरिया के द्वारा राशन पर्ची जारी करने हेतु नगर पालिका को विधिवत आवेदन दिया गया था, लेकिन लापरवाह जिम्मेदार अधिकारी उन आवेदनों पर कार्यवाही करना अपना कर्तव्य नहीं समझते। आखिर इतनी व्यापक लापरवाही किसके संरक्षण में हो रही है? इसका सीधा खामियाजा शहर की गरीब जनता को भुगतना पड़ रहा है।

अंधेरे में शहर, गंदगी से बेहाल जनता शहर की मूलभूत सुविधाओं पर प्रहार करते हुए राजौरिया ने कहा कि पूरे डबरा की सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ चुकी है। नालियां गंदगी से लबालब हैं, नियमित झाड़ू नहीं लग रहा है और कचरे के ढेरों से बीमारियां फैल रही हैं। स्ट्रीट लाइटें बंद होने से रात के समय शहर में अघोषित कर्फ्यू जैसा अंधेरा रहता है। इसके बावजूद, जब जनता या जनप्रतिनिधि शिकायत लेकर जाते हैं, तो अधिकारी तानाशाही रवैया अपनाते हुए उन्हें एक खिड़की से दूसरी खिड़की भटकाते हैं।

आवास योजना में धांधली और RTI का गला घोंटाः प्रदेश महामंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भारी अनियमितताएं बरती जा रही हैं। पात्र हितग्राहियों की पुरानी किश्तें रोक दी गई हैं और नए आवास स्वीकृत नहीं किए जा रहे, जिससे गरीब बेघर होने की कगार पर हैं। वहीं, जब जागरूक लोग ऋश्वढ्ढ (सूचना का अधिकार) के तहत भ्रष्टाचार की जानकारी मांगते हैं, तो नगर पालिका प्रशासन नियमों के विरुद्ध जाकर उनसे हजारों रुपयों की मांग करता है। यह स्पष्ट रूप से पारदर्शिता की हत्या है।

ऐतिहासिक घेराव की चेतावनी

अंत में महाराज सिंह राजौरिया ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर गौशाला की स्थिति में सुधार नहीं हुआ, बंद स्ट्रीट लाइटें नहीं जलीं, रुकी हुई आवास की किश्तें जारी नहीं हुईं, राशन पर्ची की समस्या हल नहीं हुई और भेदभावपूर्ण राजनीति बंद नहीं की गई, तो कांग्रेस पार्टी हजारों की संख्या में जनता को साथ लेकर नगर पालिका परिषद डबरा का ऐतिहासिक घेराव और उग्र धरना प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि नगर पालिका डबरा की जनता के टैक्स से चलती है और इसका हिसाब जनता लेकर रहेगी।

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत इटारसी स्टेशन का तेजी से हो रहा कायाकल्प

भोपाल। भारतीय रेल द्वारा देशभर के प्रमुख रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से विकसित किए जाने हेतु संचालित ÷अमृत भारत स्टेशन योजना÷ के अंतर्गत पश्चिम मध्य रेल के भोपाल मंडल सबसे महत्वपूर्ण एवं व्यस्ततम जंक्शन स्टेशन इटारसी का व्यापक पुनर्विकास कार्य तेजी से प्रगति पर है। लगभग 49.84 करोड़ रुपये की लागत से स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के उन्नयन एवं आधुनिक आधारभूत संरचना विकसित करने के कार्य किए जा रहे हैं। इटारसी स्टेशन का पुनर्विकास कार्य इस वित्तीय वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है।

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत इटारसी स्टेशन पर सर्कुलेटिंग एरिया के विकास एवं सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए प्लेटफॉर्म क्रमांक 4/5 एवं 6/7 पर कवर ओवर शेड की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 एवं 7 की सतह में सुधार कार्य भी प्रगति पर है। स्टेशन भवन के आंतरिक भाग, प्रतीक्षालय एवं टिकट खिड़की क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं के अनुरूप उन्नयन कार्य किए जा रहे हैं। यात्रियों की सुविधा हेतु स्टेशन के शौचालयों का भी सुधार एवं आधुनिकीकरण किया जा रहा है। स्टेशन परिसर में दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाओं का विस्तार करते हुए रैंप, दिव्यांग संकेतक एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं विकसित की जा रही हैं। यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम एवं सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से इटारसी स्टेशन पर 12 मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्टेशन पर कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड, वीडियो वॉल, क्लॉक बोर्ड, जीपीएस आधारित सीसीटीवी कैमरे तथा पीए सिस्टम जैसी आधुनिक यात्री सूचना सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। स्टेशन पर फर्नीचर एवं यात्री उपयोग की अन्य सुविधाओं का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जबकि विभिन्न विकास कार्य चरणबद्ध तरीके से प्रगति पर हैं। भविष्य में एस्केलेटर एवं लिफ्ट जैसी सुविधाओं के विस्तार की भी योजना है, जिससे यात्रियों को और अधिक सुविधा प्राप्त होगी।

जनजाति कार्य विभाग जिला ग्वालियर के प्रभारी सहायक आयुक्त राजेंद्र शर्मा को निलंबित कर जांच करने की मांग को लेकर अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष कैलाश जाटव को ज्ञापन सोपा

दलित आदिवासी महापंचायत एवं आदिम जाति कल्याण विभाग छात्रावास आश्रम शिक्षक अधिक्षक संघ द्वारा

आज दिनांक 13 म ई 2026 को प्रथम बार ग्वालियर आगमन पर मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग मध्य प्रदेश के अध्यक्ष भाई माननीय कैलाश जाटव को पांच सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सोपा ज्ञापन में साक्ष्य के रूप में 2-3 सैकड़ा दस्तावेज संलग्न किए गए हैं ज्ञापन में अनुसूचित जाति वर्गों पर हो रहे भेदभाव उत्पीड़न के साथ-साथ जनजाति कार्य विभाग जिला ग्वालियर में विभाग के प्रभारी सहायक आयुक्त राजेंद्र शर्मा मूल पद प्राचार्य परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर द्वारा की जा रहे भ्रष्टाचार नियमों के विरुद्ध कार्य मनमानी तरीके से पद स्थापना तथा अतिरिक्त प्रभार देने के साथ-साथ नियमों के खिलाफ जाकर प्रभारी सहायक आयुक्त का प्रभार राजेंद्र शर्मा को देने की भी शिकायत की गई है साथ ही राजेंद्र शर्मा को निलंबित कर पूरे

प्रकरण की जांच की जाए और स्थाई सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग जिला ग्वालियर में पदस्थ करने के लिए आयोग के माध्यम से शासन को प्रस्ताव भेजा जाए और अनुशंसा की जाए ज्ञापन सौंपने गए प्रतिनिधि मंडल में दलित आदिवासी महापंचायत के संस्थापक संरक्षक तथा आदिम जाति कल्याण विभाग छात्रावास आश्रम शिक्षक अधीक्षक संघ के संस्थापक प्रांत अध्यक्ष डॉ जवर सिंह अग्र , दलित आदिवासी महापंचायत के प्रदेश अध्यक्ष महेश मदुरिया सहित उत्तम कुमार वंसोरिया आदि शामिल थे मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कैलाश जाटव जी ने ज्ञापन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है प्रतिनिधि मंडल में शामिल दलित आदिवासी महापंचायत के नेताओं ने कहा है कि शीघ्र कार्रवाई की गई तो गलत आदिवासी महापंचायत आंदोलन करेगी जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी

रक्तदान महादान: जयसिंहनगर सिविल अस्पताल में शिविर संपन्न, 10 यूनिट रक्त संग्रहित

कैलाश कुमार अहिरवार - सह संपादक (युवा प्रदेश)

जयसिंहनगर। ÷परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्÷ और ÷रक्तदान महादान÷ के ध्येय वाक्य को चरितार्थ करते हुए आज दिनांक 14 मई 2026 को सिविल अस्पताल जयसिंहनगर में एक विशाल रक्तदान शिविर का सफल आयोजन किया गया। रक्तदान महादान परोपकार सर्वो धर्मः अभियान के तत्वाधान में आयोजित इस शिविर में युवाओं और स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया, जिसके परिणामस्वरूप कुल 10 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया।

BMO डॉ. आनंद प्रताप ने स्वयं रक्तदान कर पेश की मिसाल

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (BMO) डॉ. आनंद प्रताप ने न केवल शिविर का कुशल संचालन किया, बल्कि स्वयं रक्तदान कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उनके इस कदम ने वहां मौजूद युवाओं का हौसला बढ़ाया। डॉ. प्रताप ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि - > ÷रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। यह न केवल किसी का जीवन बचाता है, बल्कि रक्तदाता के स्वयं के स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। इससे हृदय रोग का खतरा कम होता है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है।÷

शहडोल ब्लड सेंटर की टीम ने दी सेवाएँ

रक्त संग्रहण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करने के लिए जिला मुख्यालय शहडोल के ब्लड सेंटर से विशेष टीम पहुँची थी। इसमें मुख्य रूप से डॉ. हामिद अंसारी (पैथोलॉजिस्ट) एवं श्रीमती श्यामला राव (इंचार्ज) अपनी टीम के साथ मौजूद रहीं। उन्होंने रक्तदाताओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर पूर्ण सुरक्षा मानकों के साथ रक्त संग्रहण सुनिश्चित किया।

अभियान संचालक ने जताया आभार

इस पूरे अभियान के संचालक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमझोर के लैब टेक्नोलॉजिस्ट अनुराग यादव ने सफल आयोजन पर हर्ष व्यक्त किया। उन्होंने सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर उनकी सराहना की और भविष्य में भी इसी तरह मानवता की सेवा के लिए आगे आने का आह्वान किया। श्री यादव ने कहा कि एकत्रित किया गया यह रक्त जरूरतमंद मरीजों और आपातकालीन स्थितियों में जीवन रक्षक साबित होगा।

मुख्य आकर्षण

स्थानः - सिविल अस्पताल, जयसिंहनगर।

संग्रहणः 10 यूनिट रक्त।

सहयोग ः - ब्लड सेंटर शहडोल एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम।

इस अवसर पर अस्पताल के अन्य कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में रक्तदाता उपस्थित रहे।

अनूपपुर में उर्वरक वितरण और नई तकनीक पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न

कुमार अनूप गुप्ता ब्यूरो चीफ अनूपपुर

इफको सहकारिता विभाग और जिला सहकारी बैंक के संयुक्त तत्वावधान में अनूपपुर में एक दिवसीय जिला सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एस. के. यादव, प्रभारी उप संचालक कृषि वर्षा त्रिपाठी, इफको और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक, कृषि विभाग और बैंक के विभिन्न अधिकारी, शाखा प्रबंधक और जिले की सभी सहकारी समितियों के प्रबंधक उपस्थित रहे। इस दौरान इफको और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने कृषि क्षेत्र की वर्तमान वैश्विक चुनौतियों और भारत सरकार की नई उर्वरक नीतियों पर विस्तार से चर्चा की। ?प्रशिक्षण का मुख्य केंद्र रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और मृदा स्वास्थ्य में सुधार लाना था। कृषि वैज्ञानिक ने किसानों और समिति प्रबंधकों को नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और सागरिका जैसे आधुनिक विकल्पों के सही

उपयोग की विधि बताई। उन्होंने बताया कि इन जैव उर्वरकों के प्रयोग से न केवल खेती की लागत कम होगी, बल्कि भूमि की उपजाऊ शक्ति भी लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी। इफको के क्षेत्रीय प्रबंधक ने भी संतुलित उर्वरक उपयोग और जैविक खेती को बढ़ावा देने वाली तकनीकों की जानकारी साझा की। प्रभारी उप संचालक कृषि ने उर्वरक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए सभी सहकारी समितियों को निर्देशित किया कि खाद का वितरण अनिवार्य रूप से ई-टोकन और पी.ओ.एस. मशीन के माध्यम से ही किया जाए ताकि सभी किसानों को समान रूप से उर्वरक प्राप्त हो सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता या भेदभाव पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। कार्यक्रम में जिला सहकारी बैंक के अधिकारियों ने समितियों में खाद की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और किसानों को जागरूक करने पर जोर दिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समितियों की व्यावसायिक दक्षता बढ़ाना और कृषकों को समय पर सही तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराना था।

नीट यूजी पेपर लीक के विरोध में एनएसयूआई रायसेन ने विरोध प्रदर्शन किया

हल्केवीर सूर्यवंशी संभागीय संवाददाता रायसेन/ उदयपुरा। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन जिला जिला रायसेन में जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी के नेतृत्व में नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान छात्रों और कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक

बंद करो, छात्रों का भविष्य बचाओ और भाजपा सरकार मुर्दाबाद जैसे नारों के साथ अपना आक्रोश व्यक्त किया। जिला एनएसयूआई ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। पिछले 10 वर्ष में 90 से यादा राष्ट्रीय स्तर के पेपर लीक हुए है। धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में नीट का पेपर 2024 के बाद इस साल फिर लीक हुआ फिर भी सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है - कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित पार्षद भारत पोरिया पार्षद, नयन वर्मा युवा कांग्रेस अध्यक्ष, विक्रम चौहान, शिवम रघुवंशी, वीरेंद्र चौधरी, दुर्गेश पांडे, पंकज राय, परसोत्तम रघुवंशी, संदीप विश्वकर्मा, नमीर खान जिला उपाध्यक्ष, सचिन लोधी, सीमांत धाकड़, आयुष नेमा, नावेद खान, अमित मेहरा, नवनीत रघुवंशी, फैजान खान, अरमान खान, उजेर खान, रोहित अहिरवार, जतिन विश्वकर्मा आदि एनएसयूआई के कार्यकर्ता शामिल रहे।

लाड़ली बहनों को सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री ने किया राशि का अंतरण

नरसिंहपुर में आयोजित मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के सजीव प्रसारण को देखने एवं सुनने जिले में की गई थी व्यवस्था

कुमार अनूप गुप्ता ब्यूरो चीफ अनूपपुर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी में आयोजित कार्यक्रम से मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की अनुदान राशि का हितग्राहियों के खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरण किया। इस कार्यक्रम को कलेक्ट्रेट स्थित सोन सभागार सहित जिले के जनपद व नगरीय एवं ग्रामीण निकायों में देखने एवं सुनने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थी। कार्यक्रम में

जनप्रतिनिधिगणों के साथ ही बड़ी संख्या में हितग्राही उपस्थित थे जिला स्तर पर कलेक्ट्रेट स्थित सोन सभागार में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रीति सिंह, महिला एवं बाल विकास विभाग की सहायक संचालक श्रीमती मंजूषा शर्मा, महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी सहित बड़ी संख्या में लाडली बहनें उपस्थित थीं। मुख्यमंत्री जी ने सिंगल क्लिक के माध्यम से अनूपपुर जिले के 01 लाख 25 हजार 259 लाड़ली बहनों के खातों में 18 करोड़ 24 लाख 3 हजार 300 की राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नरसिंहपुर जिले में आयोजित कार्यक्रम से लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश के 1.25 करोड़ बहनों के बैंक खातों में 1835 करोड़ की राशि अंतरित की।

परीक्षा नहीं, विश्वास का पतनः जब मेहनत नीलाम होने लगे

जब एक देश अपने युवाओं से कहता है..मेहनत करो, तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है, तो वह केवल सलाह नहीं देता बल्कि एक वादा करता है। यही वादा हर उस छात्र की आँखों में बसता है जो रात के सन्नाटे में किताबों के बीच अपना कल तलाश रहा होता है। लेकिन आज वही वादा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके साथ टूट रहा है लाखों युवाओं का विश्वास। नीट 2026 के हालिया घटनाक्रम ने इस सच्चाई को और भी स्पष्ट कर दिया है। लगभग 23 लाख से अधिक छात्र जो इस परीक्षा में शामिल हुए, एक ऐसे संकट के शिकार बने जिसमें कथित रूप से प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले ही बाजार में पहुँच गया। जांच में सामने आया कि तथाकथित गेस पेपर विषयों के 10 से 25 लाख रूपये तक में बेचा जा रहा था और कई मामलों में 100 से अधिक प्रश्न वास्तविक प्रश्नपत्र से मेल खाते पाए गए। यह केवल एक लापरवाही नहीं बल्कि एक संगठित तंत्र की ओर इशारा करता है। यदि इसे एक अपवाद मान लिया जाए तो शायद स्थिति इतनी भयावह न लगे किंतु तथ्य इससे कहीं अधिक चिंताजनक गंभीर हैं। पिछले 10 वर्षों में देशभर में लगभग 89 पेपर लीक और 48 पुनर्परीक्षाओं के मामले सामने आ चुके हैं, जिनसे करोड़ों अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं। यह आँकड़े बताते हैं कि समस्या अब छिटपुट नहीं रही बल्कि व्यवस्था के भीतर गहराई तक पैठ बना चुकी है। जब एक छात्र परीक्षा कक्ष में बैठता है तो वह केवल प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखता, बल्कि अपने जीवन की दिशा तय करता है। लेकिन जब वही प्रश्न पहले से बिक चुके हों, तो उसकी मेहनत का अर्थ क्या रह जाता है उस क्षण वह केवल प्रतियोगिता नहीं हारता, बल्कि व्यवस्था पर अपना विश्वास भी खो देता है। यह केवल पेपर लीक नहीं है, यह उस भरोसे की हत्या है जिस पर पूरी शिक्षा प्रणाली टिकी हुई है। पूर्व के मामलों में न्यायपालिका द्वारा यह स्वीकार किया जाना कि कुछ छात्रों को सीधे तौर पर ऐसे लीक का लाभ मिला, इस संकट को और भी

कुमारी प्रियंका
[लेखिका: सामाजिक कार्यकर्ता विचारक-चिंतक]

वास्तविक बना देता है। यह अब संदेह या आरोप का विषय नहीं रहा, बल्कि प्रमाणित सच्चाई बन चुका है। आज एक ओर वह छात्र है जो गरीबी से जूझते हुए तथा सीमित संसाधनों में भी ईमानदारी से संघर्ष कर रहा है और दूसरी ओर वह तंत्र है जहाँ कुछ लोग पैसों के बल पर उसी संघर्ष को खरीद लेते हैं। यदि सफलता का पैमाना मेहनत के बजाय आर्थिक क्षमता बन जाए तो यह केवल शिक्षा का नहीं, बल्कि पूरे नैतिक तंत्र का पतन है। हर बार जब कोई परीक्षा रद्द होती है, तो केवल एक प्रक्रिया बाधित नहीं होती बल्कि लाखों छात्रों का आत्मविश्वास, उनकी मानसिक स्थिरता और उनके सपनों की समयसीमा टूट जाती है। यह वे युवा हैं जो अपने परिवार की उम्मीदों का भार उठाए हुए हैं, जो संघर्ष के रास्ते पर चलते हुए अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। उनके लिए यह केवल परीक्षा नहीं, बल्कि अस्तित्व का प्रश्न है। सबसे पीड़ादायक सच्चाई यह है कि..इसी टूटते हुए विश्वास, लगातार असफल होती व्यवस्था और असहनीय मानसिक दबाव के कारण कई छात्रों ने आत्महत्या जैसे कदम भी उठाए हैं। जब एक छात्र युवा जो अपने परिवार की उम्मीदों का केंद्र होता है, इस हद तक निराश हो जाता है कि उसे जीवन ही बोझ लगने लगता है, तो यह केवल व्यक्तिगत त्रासदी नहीं रहती..यह पूरे तंत्र की विफलता का प्रमाण बन जाती है। अब यह मुद्दा केवल छात्रों तक सीमित नहीं रहा। यह देश के भविष्य, उसकी संस्थाओं की विश्वसनीयता और उसके न्याय के आधार से जुड़ा प्रश्न बन चुका है। यदि चयन की प्रक्रिया ही संदिग्ध हो जाए, तो योग्यता का मूल्य स्वयं ही समाप्त हो जाता है। ऐसे में अब केवल आश्वासन पर्याप्त नहीं हैं। आवश्यकता है स्पष्ट जवाबदेही की, कठोर और निष्पक्ष कार्रवाई की और ऐसी व्यवस्था की जो इस प्रकार के अपराधों को जड़ से समाप्त कर सके। शिक्षा केवल ज्ञान का माध्यम नहीं है, यह विश्वास की वह नींव है जिस पर एक राष्ट्र खड़ा होता है और यदि यही नींव बार-बार इस तरह दरकती रही तो आने वाला समय केवल बेरोजगारी या असमानता का संकट नहीं होगा बल्कि वह एक ऐसी पीढ़ी का समय होगा जो देश की व्यवस्था से ही भरोसा खो चुकी होगी। जिस दिन मेहनत करने वाला युवा ही व्यवस्था से उम्मीद छोड़ देगा, उस दिन हार किसी एक परीक्षा की नहीं, पूरे देश के भविष्य की होगी।

इंजी. राहुल अहिरवार की मेहनत लाई रंगः रैदासपुरा पंचायत मुद्दे पर भारत सरकार का मध्य प्रदेश शासन को कड़ा निर्देश

छतरपुर/बिजावर।

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम रैदासपुरा (बसराई) को एक पृथक ग्राम पंचायत बनाने की मांग को एक बड़ी और ऐतिहासिक सफलता मिली है।

%राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद% के प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी इंजी. राहुल अहिरवार के नेतृत्व में लड़ी जा रही इस निर्णायक लड़ाई का असर अब दिल्ली में दिखने लगा है। इंजी. राहुल अहिरवार ने गांव के अधिकारों के हनन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 25 मार्च 2026 को सीधे पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार को एक कड़ा ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने मंत्रालय के समक्ष पुरजोर तरीके से यह मुद्दा उठाया कि 1000 से अधिक आबादी होने के बावजूद, %मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम% की

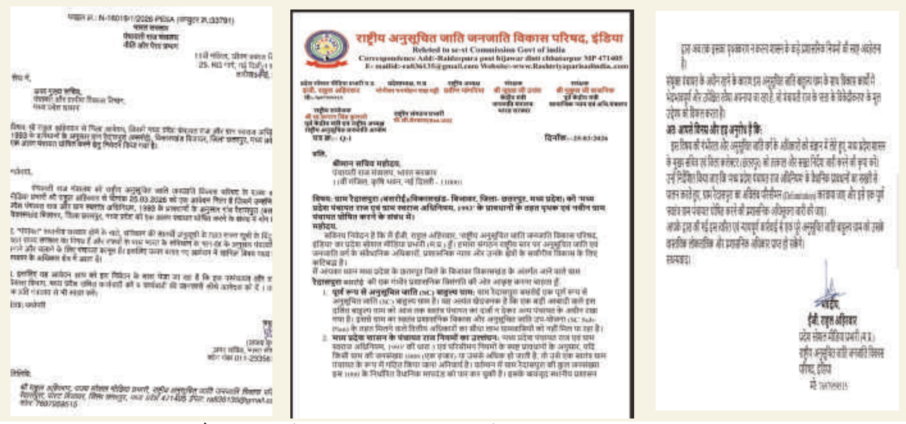
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद, इंडिया

धज्जियां उड़ाते हुए ग्राम रैदासपुरा को स्वतंत्र पंचायत का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। अपनी शिकायत में उन्होंने स्पष्ट किया कि एक अन्य पंचायत के अधीन रखकर दलित समाज के विकास कार्यों में भेदभाव किया जा रहा है। इंजी. राहुल अहिरवार के इस कड़े रुख और मजबूत प्रशासनिक पैरवी पर त्वरित संज्ञान लेते हुए, भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने 14 मई 2026 को मध्य प्रदेश शासन के %पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग% के अपर मुख्य सचिव को एक आधिकारिक पत्र जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस आवेदन पर तत्काल और उचित कार्यवाही की जाए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि की गई कार्यवाही की रिपोर्ट सीधे राहुल अहिरवार को सौंपी जाए। यह इंजी. राहुल अहिरवार के अथक जमीनी प्रयास और उनके कड़े प्रशासनिक पत्राचार की एक बड़ी जीत है। इस कदम से मध्य प्रदेश शासन पर ग्राम रैदासपुरा को अविलंब %स्वतंत्र ग्राम पंचायत% घोषित करने का दबाव बन गया है।

ब्राम्हणवाद और मनुवाद में क्या अंतर और क्या समानता है : अतर सिंह भारतीय

ब्राम्हणवाद और मनुवाद दोनों ही प्राचीन भारतीय सामाजिक और धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, जिनमें कुछ अंतर और समानताएं हैं

अंतर

1. उत्पत्ति- ब्राम्हणवाद की उत्पत्ति वेदों से हुई है, जबकि मनुवाद की उत्पत्ति मनुस्मृति से हुई है।
2. वर्ण व्यवस्था- ब्राम्हणवाद में वर्ण व्यवस्था को महत्व दिया गया है, जबकि मनुवाद में वर्ण व्यवस्था को और भी कठोर बनाया गया है।
3. ब्राह्मणों की स्थिति- ब्राम्हणवाद में ब्राह्मणों को उच्च स्थान दिया गया है, जबकि मनुवाद में ब्राह्मणों को और भी उच्च स्थान दिया गया है।
4. शूद्रों की स्थिति- ब्राम्हणवाद में शूद्रों को निम्न स्थान दिया गया है, जबकि मनुवाद में शूद्रों को और भी निम्न स्थान दिया गया है।

समानता

1. वर्ण व्यवस्था- दोनों ही व्यवस्थाओं में वर्ण व्यवस्था को महत्व दिया गया है।
2. ब्राह्मणों की श्रेष्ठता- दोनों ही व्यवस्थाओं में ब्राह्मणों को उच्च स्थान दिया गया है।
3. शूद्रों की निम्नता- दोनों ही व्यवस्थाओं में शूद्रों को निम्न स्थान दिया गया है।
4. पितृसत्तात्मक व्यवस्था- दोनों ही व्यवस्थाओं में पितृसत्तात्मक व्यवस्था को महत्व दिया गया है।
5. कर्म और पुनर्जन्म- दोनों ही व्यवस्थाओं में कर्म और पुनर्जन्म की

लेखक : सामाजिक कार्यकर्ता
अतर सिंह भारतीय, मप्र

अवधारणा को महत्व दिया गया है।

क्या आप जानते हैं कि ब्राम्हणवाद और मनुवाद के प्रभाव आज भी कैसे देखे जा सकते हैं

ब्राम्हणवाद और मनुवाद के प्रभाव आज भी भारतीय समाज में देखे जा सकते हैं, खासकर जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानता में।

- जाति व्यवस्था- ब्राम्हणवाद और मनुवाद ने जाति व्यवस्था को मजबूत किया, जिससे समाज में ऊंच-नीच और भेदभाव बढ़ा।
- सामाजिक असमानता- मनुस्मृति में वर्णित जाति व्यवस्था आज भी सामाजिक असमानता का कारण बनती है, खासकर दलित और पिछड़े वर्गों के लिए।
- शिक्षा और रोजगार में भेदभाव- ब्राम्हणवाद और मनुवाद के प्रभाव से शिक्षा और रोजगार में भेदभाव होता है, जिससे दलित और पिछड़े वर्गों को अवसर नहीं मिलते।
- महिलाओं के अधिकार- मनुस्मृति में महिलाओं के अधिकारों को कम किया गया है, जिससे आज भी महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन होता है।
- राजनीति में प्रभाव- ब्राम्हणवाद और मनुवाद के प्रभाव से राजनीति में भी भेदभाव होता है, जिससे दलित और पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है या संवैधानिक आधार पर मिलने पर भी अक्सर प्रभावहीन ही रहता है।

गोहपारू बिजली विभाग का अदृश्य अमला, इंजीनियर से लेकर टीम तक जनता के लिए नॉट रीचेबल

कैलाश कुमार अहिरवार - सह संपादक
(युवा प्रदेश)

गोहपारू (शहडोल)। जिले के गोहपारू वितरण केंद्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मलमाथर (यादव मोहल्ला) में बिजली संकट अब एक मानवीय आपदा का रूप ले चुका है। लेकिन इस आपदा से भी बड़ी खबर यह है कि क्षेत्र की बिजली व्यवस्था संभालने वाले इंजीनियर श्रीनिवास पटेल और उनकी पूरी टीम धरातल से पूरी तरह गायब है। ग्रामीणों का आरोप है कि यह केवल एक इंजीनियर की लापरवाही नहीं, बल्कि पूरे विभाग का सामूहिक गैर-जिम्मेदाराना रवैया है

इंजीनियर की अभेद्य दीवार न फोन उठता है, न टीम पहुंचती है

ग्रामीणों ने इस मामले में बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। मोहल्ले के युवाओं और बुजुर्गों का कहना है कि जब बिजली गुल

हुई, तो उन्होंने सबसे पहले इंजीनियर श्रीनिवास पटेल को फोन लगाया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। इसके बाद ग्रामीणों ने विभाग की फील्ड टीम और लाइनमैनों से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन वहां से भी चुप्पी ही हाथ लगी ऐसा प्रतीत होता है कि गोहपारू बिजली विभाग ने ग्रामीणों का फोन न उठाने का एक अघोषित नियम बना लिया है। ग्रामीण सवाल पूछ रहे हैं कि - ÷अगर कोई बड़ी अनहोनी हो जाए या बिजली का तार टूटकर गिर जाए, तो क्या विभाग तब भी फोन नहीं उठाएगा? क्या अधिकारियों को जनता से बात करने में शर्म आती है

क्षेत्र में दर्शन को तरसे लोग सरकारी गाड़ियां गायब, जनता बेहाल आमतौर पर ऐसी शिकायतों के बाद विभागीय टीम को मौके पर जाकर फाल्ट चेक करना चाहिए, लेकिन मलमाथर के यादव मोहल्ले में पिछले सात दिनों से विभाग की किसी गाड़ी या कर्मचारी के दर्शन तक नहीं हुए हैं। ग्रामीण तपती धूप में सड़क किनारे खड़े होकर विभाग की टीम का इंतजार करते हैं, लेकिन श्रीनिवास पटेल की टीम अपने एयर कंडीशन्ड दफ्तरों से बाहर निकलने की जहमत नहीं उठा रही है।

भीषण गर्मी और पानी की त्राहि-त्राहि पारा 45 डिग्री के पार है। इस झुलसाने वाली गर्मी में बिना बिजली के घरों के भीतर रहना नरक जैसा है। बिजली न होने से नल-जल योजना और निजी मोटरें बंद पड़ी हैं। स्थिति यह है कि

बचे और बुजुर्गः गर्मी के कारण बीमार पड़ रहे हैं।

पानी का अकाल- पीने के पानी के लिए एक-एक किलोमीटर दूर जाना पड रहा है।

पशुधन का संकटः मवेशियों को पिलाने के लिए पानी का कोई साधन नहीं बचा है।

कलेक्टर-कमिश्नर को भेजी कॉल लॉग्स की डिटेल

हैरान-परेशान ग्रामीणों ने अब हार मानकर शहडोल कलेक्टर और कमिश्नर को व्हाट्सएप पर अपनी शिकायत के साथ-साथ उन अनआंसर्ड कॉल्स (Unanswered Calls) की लिस्ट भी भेजी है, जो उन्होंने इंजीनियर श्रीनिवास पटेल को की थीं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे अधिकारियों की कॉल डिटेल्स निकलवाई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके कि वे जनता की सेवा कर रहे हैं या उन्हें नजरअंदाज ।

चेतावनीः अब घेरा जाएगा बिजली दफ्तर ग्रामीणों ने अब अंतिम फैसला ले लिया है। यदि अगले 24 घंटे में बिजली बहाल नहीं हुई और इंजीनियर श्रीनिवास पटेल ने खुद आकर अपनी टीम के साथ जवाब नहीं दिया, तो ग्रामीण गोहपारू बिजली दफ्तर का घेराव करेंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी विभाग और प्रशासन की होगी।

जब इस संबंध मे इंजिनियर श्रीनिवास पटेल के मोबाइल नम्बर 9827846865 मे दो बार फोन लगाया गया है लेकिन फोन नही उठा

पूर्व डीएसपी अभयराम चौधरी को पुलिस विभाग की निष्ठा से सेवा देने पर मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित

हल्केवीर सूर्यवंशी संभागीय संवाददाता
नर्मदापुरम/ भोपाल।

होशंगाबाद नगर के अभयराम चौधरी जिन्होंने पुलिस विभाग में 30 वर्ष से लगातार अपनी सेवा के माध्यम से सदैव उत्कृष्ट कार्य किया और पुलिस विभाग में कानून के द्वारा सही को सही मायने में स्थापित कराने का योगदान दिया।

जिनकी सेवाओं का आकलन करते हुए विशिष्ट श्रेणी का माना गया। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एवं पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश द्वारा उन्हें रुस्तम जी पुरस्कार से भोपाल के रविन्द्र भवन में सरकारी आयोजन में सम्मानित किया गया।

पुरस्कार प्राप्त होते हुए उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री व पुलिस महानिदेशक जी का बहुत ही आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया है।

गौरतलब हो कि चौधरी ने पुलिस विभाग में पूरी निष्ठा ईमानदारी और कठोर परिश्रम करके समाज के वंचित वर्गों को न्याय दिलाने हेतु भरसक प्रयास किया। ये अहिरवार समाज के संगठनों के माध्यम से कानूनी सलाह देने का सदा नेक काम करते है और जो भी मदद के लिए उनसे मिलते है वह सहज भाव से मदद के लिए तत्पर रहते है। उनकी इसी प्रकार की अनूठी पहल व सेवाओं पर शासन द्वारा रुस्तम पुरस्कार से नवाजा गया है। चौधरी के उक्त सम्मान मिलने पर अनुसूचित जाति के महान क्रांतिकारी वीर शहीद मनीराम अहिरवार जी के सुपौत्र मूलचन्द मेधोनिया ने उन्हें आत्मीय हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए प्रशंसा प्रगट कर उनसे यही अपेक्षा की है कि वह सेवा निवृत्ति पशचात भी ऐसी सेवा देते रहे। अहिरवार समाज का नाम रोशन करते हुए गौरवान्वित करते रहे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दिल्ली मेट्रो में किया सफर

प्रधानमंत्री श्री मोदी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उपयोग के आह्वान पर किया अमल

भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरूवार को दिल्ली प्रवास के दौरान मेट्रो ट्रेन से सफर कर मितव्ययता का उदाहरण प्रस्तुत किया। उल्लेखनीय है कि देश में बढ़ते ट्रैफिक दबाव, प्रदूषण और वर्तमान वैश्विक संकट के दृष्टिगत भविष्य के लिए ईंधन की बचत और वर्तमान में की जा रही खपत को कम करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लगातार पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मेट्रो के अधिक उपयोग की अपील की है। इसी दिशा में एक सकारात्मक पहल करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन मेट्रो में यात्रा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आम यात्रियों के बीच रहकर सफर किया और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के महत्व को रेखांकित किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के मेट्रो सफर की सभी नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के साथ ही प्रशासनिक क्षेत्र में काफी चर्चा रही। इसे एक प्रतीकात्मक और प्रभावशाली संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें आम नागरिकों को भी यह प्रेरणा मिलती है कि यदि जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर सकते हैं, तो सभी इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं।

कार्बन उत्सर्जन में कमी और प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी उपयोगी है मेट्रो

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मेट्रो सफर के संदर्भ में कहा कि मेट्रो जैसे आधुनिक परिवहन साधन समय की बचत के साथ पर्यावरण-संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बड़े शहरों में लगातार बढ़ते वाहनों के दबाव को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बेहद आवश्यक है। इससे न केवल ट्रैफिक जाम कम होगा, बल्कि कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह भी कहा कि भारत तेजी से आधुनिक और सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहां परिवहन व्यवस्था को अधिक स्मार्ट, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दिल्ली मेट्रो की व्यवस्था, समयबद्धता और यात्री सुविधाओं की सराहना करते हुए कहा कि देश के अन्य शहरों में भी इस तरह की व्यवस्थाओं का विस्तार होना चाहिए। मध्यप्रदेश में भोपाल और इंदौर के पश्चात अन्य बड़े नगरों में मेट्रो ट्रेन सुविधा का विस्तार इसी सुविचारित योजना का हिस्सा है। हमारा देश स्वच्छ ऊर्जा, ग्रीन मोबिलिटी और स्मार्ट सिटी मिशन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक नागेश नरवरिया द्वारा जय माता प्रिंटर्स म.नं. 1 अमर दाल मिल के पास पेमदीपुरा चिकलोद रोड के पास बापू कालोनी जहांगीराबाद भोपाल मप्र से मुद्रित एवं म.नं. 51 एक्सटेंशन शिवलोक कॉलोनी फेस-3, खजूरी कलां रोड, तह. हुजूर जिला भोपाल से प्रकाशित। संपादक : नागेश नरवरिया (समस्त विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)